



Neutral Citation No- 2026:AHC:12281

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-6887 वर्ष 2025

लखन

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अजय कुमार चौरसिया

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय कुमार चौरसिया, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा एस.एस.टी. संख्या-2624 वर्ष 2020, मुकदमा अपराध संख्या-542 वर्ष 2020, धारा 302 भ०द०वि०, थाना-सिकंदरा, ज़िला: आगरा के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक के खिलाफ एकमात्र सबूत सीसीटीवी फुटेज है, जिससे पता चलता है कि आवेदक मृतक के साथ जा रहा था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक ने हत्या की है। कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। यह सामने नहीं आया है कि आवेदक को उक्त अपराध करते हुए देखा गया था। इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक उक्त गेस्ट हाउस से बाहर चला गया था और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था। आवेदक 22.09.2020 से जेल में है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. ततस्य विपरीत, राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक को घटनास्थल की ओर जाते हुए देखा गया था और शव उसी गेस्ट हाउस से बरामद किया गया है और उस समय उक्त गेस्ट हाउस में कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। अपने स्वयं के भागने के बारे में बताने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति आरोपी है, इस प्रकार, आवेदक ज़मानत का हकदार नहीं है। कमरा संख्या-121 आवेदक और मृत व्यक्ति द्वारा बुक किया गया था।

6. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 28.11.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 6 गवाहों से पूछताछ की गई है।

7. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 आईएनएससी 909 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

8. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को घटनास्थल की ओर जाते हुए देखा गया था और उसी गेस्ट हाउस से शव बरामद किया गया है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 19, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.